पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों से सम्बन्धित स्थानान्तरण पदस्थापन नीति

1. जिला पुलिस के आरक्षी/मुख्य आरक्षी

आरक्षी/मुख्य आरक्षी का पदस्थापन साधारणतया उनके गृह जिले में किया जा सकेगा, यह पदस्थापन निम्न शर्तो के अधीन होगाः–

(अ) इस स्तर के पुलिस कर्मियों को उनके गृह वृत्त में पदस्थापित नहीं जायेगा।

(ब) इनका पदस्थापन दोनो रेंकों में कुल मिलाकर एक थाने में 5वर्ष से अधिक नहीं किया जावेंगा।

(स) यदि कोई आरक्षी अपने गृह जिले के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में भर्ती होता है तो, उस जिले में न्यूनतम 7वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर लेने के बाद ही उसके अन्तर जिला स्थानान्तरण पर विचार किया जावेंगा। एक ही जिले में स्थानान्तरण हेतु वरिष्ठता के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा गत 7वर्षो में अच्छा अथवा बेहतर वार्षिक कार्य मूल्यांकन वाले पुलिस कर्मी को ही स्थानान्तरित किया जाएगा।

(द) यदि किसी आरक्षी का रिकार्ड पूर्णतया बेदाग हो, उसका 5 वर्षो का वार्षिक कार्य मूल्यांकन 'बहुत अच्छा' अथवा उससे बेहतर हो तथा उसे तीन या अधिक बार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा उत्कृष्ट फील्ड कार्य (Field Work) विशेष के लिए पुरस्कृत किया गया हो तो वह 5 वर्ष बाद भी अन्तर्जिला स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। ऐसे आरक्षी को अन्तर्जिला स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

2. सहायक उपनिरीक्षक

सहायक उप निरीक्षक का पदस्थापन उनके गृह जिले में किया जा सकेगा यह पदस्थापन निम्न शर्तो के अधीन होगाः–

(अ) इस स्तर के पुलिस कर्मियो को उनके गृह वृत में पदस्थापित नही किया जायेगा।

(ब) इस स्तर के अधिकारी किसी एक थाने पर कुल 3 वर्ष से अधिक पदस्थापित नही रह सकेंगे।

(स) किसी भी वृत्त में सहायक उप निरीक्षक, हैड कानि. एवं कानि. तीनो रैंक की कुल मिलाकर पदस्थापन अवधि 10 वर्ष से अधिक नही होगी। जिन जिलों में मात्र दो ही वृत है, उनमें यह समय सीमा 15 वर्ष तक हो सकेगी।

3. उप निरीक्षक पुलिस

उप निरीक्षक अपने गृह जिलें में पदस्थापित नही किये जायेंगे। इनका पदस्थापन निम्न शर्तो के अधीन होगाः–

(अ) एक जिले में ये लगातार 4 वर्ष तथा कुल 8 वर्ष से अधिक पदस्थापित नही रहेंगे, एवं चार वर्ष की दोनो पदस्थापित अवधियों के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का अन्तराल होना आवश्यक होगा।

नोटः कानि. से सहायक उप निरीक्षक रैंक तक के पुलिस कर्मियो का जिला स्तर पर तथा उप निरीक्षक पुलिस का रेंज स्तर पर वर्गवार समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थानान्तरण करते समय यथासंभव बरकरार रखा जावेगा।

4. निरीक्षक पुलिस

निरीक्षक स्तर के अधिकरी अपने गृह जिले में पदस्थापित नही किये जायेंगे इनका पदस्थापन निम्न शर्तो के अधीन होगा।

(अ) निरीक्षक स्तर पर पदोन्नति पर इनका प्रारम्भिक पदस्थापन 2 वर्ष तक जिला पुलिस/पुलिस रेंज में नही किया जावेगा।

(ब) इस स्तर के अधिकारी पुलिस थाने/पुलिस यातायात में एक जिले में लगातार 4 वर्ष व कुल 8 वर्ष से अधिक पदस्थापित नही रहेंगे, एवं चार वर्ष की दोनो पदस्थापन अवधियों के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का अन्तराल होना आवश्यक होगा।

(स) ये अधिकारी एक रेंज में इसी रैंक में विभिन्न पदों पर कुल 10 वर्ष से अधिक पदस्थापित नही रहेंगे।

नोटः

1. एक जिले में आरक्षी से लेकर निरीक्षक तक के स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जावेंगे।
2. एक रेंज में अन्तरर्जिला स्थानान्तरण के आदेश संबंधित महानिरीक्षक पुलिस, रेंज द्वारा किये जायेंगे।
3. अन्तर्रेज स्थानान्तरण के आदेश महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा किये जायेंगे।
4. किसी भी हैड कानि./सहायक उप निरीक्षक पुलिस का स्थानान्तरण ऐसे जिला/युनिट में तथा उप निरीक्षक पुलिस का स्थानान्तरण ऐसी रेंज में नही किया जाएगा, जिसमें स्थानान्तरित होने वाले पुलिसकर्मी की नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष के किसी एक पुलिसकर्मी ने उसी रेंक में पदोन्नति प्राप्त नही कर ली हो।
5. विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण करने में सक्षम अधिकारी से एक रैंक उपर के अधिकारी की अनुमति से उक्त अवधियो में एक वर्ष की छूट प्राप्त की जा सकेगी।
6. उक्त दिशा–निर्देश जिला कार्यकारी बल (District Executive Force) के लिए लागू होंगे।
7. सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष शाखा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अधिकारी निरीक्षक के पद तक उसी शाखा में कार्य करेंगे। उप

अधीक्षक पद पर पदोन्नत होने की अवस्था में ही इनका विशेष शाखा से बाहर स्थानान्तरण हो सकेगा।

5. उप अधीक्षक पुलिस

इस स्तर के अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नही किये जा सकेंगे। इनका पदस्थापन निम्न शर्तो के अधीन होगाः–

(अ) ये अधिकारी किसी भी एक जिले में लगातार 4 वर्ष व एक पुलिस रेंज के जिलो में वृत अथवा यातायात शाखा में 6 वर्ष से अधिक नही रहेंगे।

(ब) इस स्तर के अधिकारी का पदस्थापन एक पुलिस रेंज में सभी कार्यालयों में पदस्थापन काल को सम्मिलित कर कुल 8 वर्ष से अधिक नही किया जावेगा।

(स) पदोन्नति से उप अधीक्षक पुलिस के पद पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति के तत्काल बाद, प्रथम 2 वर्षो तक जिलों में वृत अथवा यातायात के अतिरिक्त, अर्थात अन्य पदो पर ही पदस्थापित रहेंगे।

6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

इस स्तर के अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नही किये जा सकेंगे। इनका पदस्थापन निम्न शर्तो के अधीन होगाः–

(अ) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर इस स्तर के अधिकारी जिलो के अतिरिक्त अर्थात अन्य पदों पर 2 वर्ष के लिए पदस्थापित रहेंगे।

(ब) इनका पदस्थापन किसी एक पुलिस रेंज के एक जिले में लगातार 4 वर्ष तथा कुल 6 वर्ष से अधिक नही होगा।

(स) इस स्तर के अधिकारी सभी कार्यालयों में पदस्थापन काल को सम्मिलित कर एक पुलिस रेंज में 8 वर्ष से अधिक पदस्थापित नही रहेंगे।

नोटः निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी संपूर्ण सेवा काल में (सभी रैंक में) जिला पुलिस व अन्य समस्त कार्यालयों को सम्मिलित कर सभी प्रकार के पदस्थापन (उपरोक्त पदों के धारक यदि उप निरीक्षक पद से पदोन्नत हुए है, तो उप निरीक्षक पद पर किसी एक जिले की पदस्थापन अवधि को भी उपरोक्त कुल सेवावधि में सम्मिलित किया जायेगा) सहित एक ही जिले में 12 व एक रेंज में 16 वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थापित नही रह सकेंगे।

Contd…………..

आर्म्ड बटालियन मे स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति

1. नियुक्ति तिथि से न्यूनतम 7 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर ही स्थानान्तरण पर विचार किया जावेगा। स्थानान्तरण में वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा गत 7 वर्षो में 'अच्छा' अथवा उससे बेहतर वार्षिक कार्य मूल्यांकन वाले पुलिसकर्मी की ही प्रार्थना पर विचार किया जाएगा।
2. यदि किसी आरक्षी का रिकार्ड पूर्णतया बेदाग हो, उसका 5 वर्षो का वार्षिक कार्य मूलयांकन 'बहुत अच्छा' अथवा बेहतर हो तथा उसे तीन या अधिक बार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा उत्कृष्ट कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत किया गया हो तो वह 5 वर्ष बाद भी स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। ऐसे आरक्षी को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
3. किसी भी हैड कानि. का स्थानान्तरण ऐसी युनिट में नही किया जावे, जिसमे उसकी नियुक्ति वर्ष से बाद के वर्ष के किसी कानि. ने हैड कानि. के पद पर पदोन्नति प्राप्त नही कर ली हो।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस आरएसी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पी.सी. रैंक तक के अधिकारियो के स्थानान्तरण करने के सक्षम होंगे। महानिरीक्षक पुलिस आर. ए.सी./अति.महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स उक्त रेंक तक के आरएसी कर्मियो/अधिकारियों के स्थानान्तरण एक उप महानिरीक्षक पुलिस से दूसरे उप महानिरीक्षक पुलिस के क्षैत्राधिकार में कर सकेंगे।

सामान्य निर्देश :–

1. विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व नहीं किया जावेंगा।
2. यातायात शाखा सहित जिलों के फील्ड पदों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को कार्य की समीक्षा के आधार पर एक वर्ष उपरान्त भी हटाया जा सकेगा। यह कार्य समीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।
3. यातायात शाखा सहित जिलों के फील्ड पदों पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य आदि हेतु महानिदेशक पुलिस द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूरे करने वाले पुलिस कर्मी

ही पात्र होंगे। अस्वस्थता अथवा शारीरिक अयोग्याता के आधार पर इन पदों से पुलिस कर्मी का कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

4. कार्य उदासीनता, अकर्मण्यता, गम्भीर दुराचरण, आपराधिक सांठ–गांठ या संलिप्तता, नागरिकों से दुर्व्यवहार अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जॉच विचाराधीन होने अथवा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने पर पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को जिलों के फील्ड पदों, यातायात शाखा सहित, पर नियुक्त नहीं किया जा सकेंगा।
5. यदि प्रशासनिक कारणों से यह स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक हो तो, एक रेंक ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही ऐसा किया जा सकेंगा।
6. सेवा के अन्तिम दो वर्षो में उपरोक्त नियमों में शिथिलता सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। इस प्रकार शिथिलन का लाभ पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को जिलों के फील्ड पदों, यातायात शाखा सहित, पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
7. इन नियमों में जहॉ भी गृह जिले में पदस्थापन पर रोक लगाई गई है, वह नॉन–फील्ड पदस्थापन जैसे पी.एच.क्यू., विशेष शाखा, अपराध शाखा, प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि पर लागू नहीं होगी।
8. जिला जयपुर शहर के अतिरिक्त जयपुर शहर में अन्य कार्यालय में पदस्थापन पर समयावधि की कोई सीमा नहीं होगी।
9. उपरोक्त के अतिक्रमण में अतुल्य परिस्थितियों में अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से, जिनमें मात्र कानून एवं व्यवस्था तथा अनुशासन सम्बन्धी मामलें ही सम्मिलित होंगे, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान उप अधीक्षक पुलिस स्तर तक के किसी भी पुलिस कर्मी का पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर सामान्य प्रतिबन्ध लागू होने की स्थिति में भी कहीं भी कर सकेंगे। इसी प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में गृह विभाग भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तद्नुसार स्थानान्तरण कर सकेगा।
10. यह स्थानान्तरण नीति भविष्यलक्षी प्रभाव से ही लागू होगी। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकेगा।

Contd………….

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : स-4(1)पुलिस-ए/राज/95/ 2195 दिनांक 28 जुलाई,2009

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या स-4(1)पुलिस-ए/राज/95/998-1118 दिनांक 5.5.05 के द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति तैयार की गई थी। उक्त पदस्थापन नीति के अर्न्तगत आर्म्ड बटालियन्स में स्थानान्तरण/पदस्थापन नीती के पश्चात् 'राज्य विशेष शाखा' में पदस्थापन शीर्षक के तहत निम्न परन्तुक शामिल किया जाता है।

1. कानि. (सिविल पुलिस) के सीआईडी (विशेष शाखा) में स्थानान्तरण 'राज्य विशेष शाखा' की सहमति के उपरान्त ही किये जायेगे।
2. उक्त स्थानान्तरण दो वर्ष की अवधि के लिये किये जायेंगे इस अवधि में कानि. का लियन उनके पैतृक जिला/युनिट में बना रहेगा।
3. दो वर्ष उपरान्त 'राज्य विशेष शाखा' इन कानि. के स्थानान्तरण की समीक्षा कर प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। जिसमें ' विशेष शाखा' के लिए योग्य पाये गये कानि. को उनकी सहमति प्राप्त करने के उपरान्त स्थाई रूप से समायोजित कर लिया जावेगा एवं असहमति प्रस्तुत करने अथवा योग्य नही पाये गये कानि. को पुनः उनके पैतृक जिला/युनिट को भिजवाने की कार्यवाही की जावेगी।
4. जो कर्मचारी जिला पुलिस में नियुक्त होकर विशेष शाखा में स्थानान्तरण पर आता है एवं विशेष शाखा कोटे से किसी भी उच्च पद पर पदौन्नति प्राप्त कर लेता है तो ऐसे पुलिस कर्मियो को राज्य विशेष शाखा में स्थाई रूप से समायोजित माना जायेगा। विशेष शाखा द्वारा पदौन्नति परीक्षा आयोजित करने से पूर्व ऐसे सभी कर्मचारियों से इस प्रकार की लिखित सहमति प्राप्त की जावेगी।
5. राज्य विशेष शाखा में सीधी भर्ती से नियुक्ति कानि. एवं सहायक उप निरीक्षक, अथवा विशेष शाखा में स्थाई रूप से समायोजित किये गये पुलिसकर्मी, पुलिस निरीक्षक तक विशेष शाखा में ही कार्यरत रहेंगे। उप अधीक्षक की पदौन्नति होने पर इनका स्थानान्तरण विशेष शाखा से बाहर किया जा सकेगा।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, आरपीए/एससीआरबी/पुलिस दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. प्राधानाचार्य, आरपीटीसी, जोधपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय सीआईडी (सीबी/आईबी)/एसीबी/रेल्वेज अजमेर/जोधपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन राजस्थान मय (आई.आर.) बटालियन्स।
8. कमाण्डेन्ट, एमबीसी खैरवाडा।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, राजस्थान मय पीएमडीएस बीकानेर।
10. समस्त प्रभारी, अनुभाग, संस्थापन शाखा, पु.मु., जयपुर।

महानिरीक्षक पुलिस,
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।